

परिवहन विभाग,

बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्
विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना।

दूरभाष संख्या-0612-2546449

विज्ञापन संख्या-स0 सु0/लीड एजेन्सी (नि0)-05-23/2018, 6558 दिनांक-11/10/18

नियोजन हेतु विज्ञापन-03/2018

(संशोधित)

बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् के अधीन गठित "लीड एजेन्सी" के लिए Road Safety Civil Engineer एवं Road Safety Vehicle Engineer के पद पर अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

पद का नाम	पदों की संख्या	प्रतिमाह कुल वेतन	अधिकतम उम्र सीमा (01.10.2018 को)	शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव
1	2	3	4	5
Road Safety Civil Engineer	1 (अनारक्षित)	रु0 65,000/- (पैसठ हजार रु0) (नियत)	उम्र-55 वर्ष	A Full Time Regular Engineering Degree in Civil /Construction Discipline. Minimum of Eight (8) years Post Qualification Experience in Road Sector/Transportation Sector. Must possess excellent working knowledge of industry practice/safety/quality management systems on Civil Engineering. The candidate should have knowledge of CAD/CAM.
Road Safety Vehicle Engineer	1 (अनारक्षित)	रु0 65,000/- (पैसठ हजार रु0) (नियत)	उम्र-55 वर्ष	A Full Time Regular Engineering Degree in Mechanical/Automobile Discipline. Minimum of Eight (8) years Post Qualification experience in Road Sector/Transportation/Automobile Sector. Must possess excellent working knowledge of industry practice/safety/quality management systems on Mechanical/ Automobile Engineering. The candidate should have knowledge of CAD/CAM.

शर्तें-

- विज्ञापित पद का शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, मेधा अंक, कार्य दायित्व के विवरण एवं नियोजन के शर्तों की विस्तृत जानकारी विभागीय वेब साइट www.transport.bih.nic.in पर उपलब्ध है।
- उक्त पद के लिए नियोजन की प्रक्रिया को किसी भी समय बिना कारण बताए रद्द करने का अधिकार सरकार के सचिव, परिवहन विभाग-सह-सदस्य-सचिव, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना के पास सुरक्षित होगा एवं इसके विरुद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- आवेदन पत्र समर्पित करने की अंतिम तिथि 24.10.2018 को अपराह्न 6.00 बजे तक है। आवेदन पत्र स्वयं जमा कराये या रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट से भेजे। अन्तिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायगा।

सचिव, परिवहन विभाग-सह-सदस्य-सचिव,
बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्,
पटना।

i fj ogu foHkkx]
fcgkj I M d l g {kk i fj "kn-
fo' os' oj\$ k Hkou] csyh j kM] i VukA
nij Hkk" k l a[; k&0612&2546449
foKki u l a[; k&l 0 l p@yhM , t\$ll h %fu0%&05&23@2018-----
vkouu dk fofgr ç i =

(Road Safety Civil Engineer , Or Road Safety Vehicle Engineer)

1. आवेदक का नाम:—.....
2. आवेदक के पिता/पति का नाम:—.....
3. स्थायी पता:—.....
.....
4. पत्राचार का स्थानीय पता:—.....
.....
5. मोबाईल नं०:—.....
6. जन्म तिथि:—.....दिनांक 01.10.2018 को उम्र:—.....
7. आरक्षण कोटि:—.....
8. शैक्षणिक योग्यता:—.....
9. तकनीकी योग्यता:—.....
10. पद/वेतनमान (जिससे सेवानिवृत्त हुए हैं):—.....
11. पूर्व अनुभव (अवधि का नाम):—.....
12. पुरस्कार/मेडल (यदि प्राप्त हुआ हो तो):—.....
13. सेवा अवधि में कभी दण्डात्मक कार्रवाई हुई हो तो उसका विवरण:—.....
.....
14. लंबित विभागीय कार्रवाई:—.....
15. किसी Case में Conviction हुआ हो अथवा लंबित हो तो उसका विवरण:—.....
.....
16. कार्य अनुभव का ब्यौरा:—.....

हाल का फोटो

(ukv/%&l Hkh çek. k i = %' k\$kf. kd@vuHko% Loçekf. kr Nk; kçfr l yXu dj) ।

?kks'k. kk

मैं.....यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त दी गई सारी जानकारी/सूचना सत्य है तथा इसे गलत पाये जाने पर मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

(आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर)

नियोजन हेतु सामान्य शर्तें:-

1. उक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन प्रथमतः तीन वर्षों के लिए की जायगी। उसके बाद उनके कार्यकलापों, आवश्यकता एवं उनकी सेवा संतोषजनक पाये जाने पर एक-एक वर्ष के लिए सेवा विस्तारित की जा सकेगी। सेवानिवृत्त पदाधिकारी/कर्मचारी के मामलों में अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगा।
2. सेवा निवृत्त सरकारी पदाधिकारी के वेतन/मानदेय का निर्धारण बिहार सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुरूप किया जायगा।
3. अनुबंध के आधार पर नियोजन करते समय सरकार के आरक्षण नियमों का पालन किया जायगा।
4. वैसे आवेदक जिन पर कोई आपराधिक मामला अथवा निगरानी का मामला/विभागीय कार्यवाही/गंभीर आरोप विचाराधीन हो; का चयन नहीं किया जायगा।
5. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे एवं नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा मान्य नहीं होगा।
6. अनुबंध की अवधि में कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर सचिव, परिवहन विभाग-सह-सदस्य सचिव द्वारा कारण पृच्छा प्राप्त कर सकारण आदेश (Reasoned Order) पारित करते हुये अनुबंध रद्द किया जा सकता है।
7. अनुबंध की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति का पुनर्नियोजन नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि में उनका अनुबंध स्वतः समाप्त माना जायगा और इसके लिये कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
8. चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर नियोजन एवं पदस्थापन आदेश सचिव, परिवहन विभाग-सह-सदस्य सचिव, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना द्वारा निर्गत किया जायगा।
9. नियोक्ता एवं अनुबंध के आधार पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति के बीच विहित प्रपत्र में एकरारनामा सम्पन्न किया जायगा।

6/13/19
सचिव, परिवहन विभाग-सह-सदस्य सचिव,
बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्,
पटना।